

फर्द अहकाम

बालुराम बनाम गैदालाल वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

मुकदमा नम्बर/2025 दावा बाबत तकारमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

जीसीएमएस संख्या: 2025/395

क.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10.09.2025	<p>वादी की ओर से यह वादपत्र जरिये अभिभाषक श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत के द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी होकर पत्रावली वास्ते तल्बी हेतु दिनांक 15.10.2025 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)</p>	
15 ¹⁰ / ₂₅		<p>वादी के पत्रावली पर प्रतिवादीगण की वकील तल्बी हेतु वकील रजि. तल्काग के द्वारा पत्रावली जारी होकर पत्रावली वास्ते तल्बी हेतु दिनांक 23/11/25 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)</p>	
02/11/25		<p>वकुलाये फरीकेन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 27/11/25 को पेश हो।</p>	
27.11.25		<p>वकुलाये फरीकेन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 16/12/25 को पेश हों।</p>	
16 ¹² / ₂₅		<p>वकुलाये फरीकेन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 17/12/25 को पेश हों।</p>	
17 ¹² / ₂₅		<p>पत्रावली जारी की ओर से कोर्ट उपस्थित नहीं। अपावलाप समय के दौरान बार-बार अपावलाप कारणों के बाद भी वादी की ओर से कोर्ट उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र अदम दायमी के अदम पत्रों में चलाई जा रहा है। पत्रावली के अंतिम अंश को दल नोट के अंश को बाद में दायी इफ्त हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)</p>	